भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2504

जिसका उत्तर 13 दिसम्बर, 2021/22 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया गया

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

2504. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहीं ढंग से काम नहीं कर रही है; और
(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत वितरित की गई बीमा राशि सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. भागवत कराड)

(क) से (ख): प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) देश में बीमा निवेश के स्तर को बढ़ाने और आम लोगों, विशेष रूप से गरीबों और समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को बीमा कवच प्रदान करने के उद्देश्य से 9 मई, 2015 को शुरू की गई थी। यद्यपि पीएमएसबीवाई एक मांग संचालित और सहमति आधारित योजना है फिर भी इसकी शुरुआत से इसने 24 नवंबर, 2021 तक 26.23 करोड़ लाभार्थियों के संचयी नामांकन के रूप में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है।

बीमा कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 1,808.22 करोड़ रुपये की राशि के 92,822 दावे पीएमएसबीवाई के तहत 24.11.2021 को वितरित किए गए हैं। पिछले दो वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पीएमएसबीवाई दावों का राज्य-वार, पॉलिसी वर्ष-वार वितरण **अनुबंध में** दिया गया है।

पीएमएसबीवाई के तहत कवरेज बढ़ाने की दृष्टि से गत एक वर्ष में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

I. मृत्यु के प्रमाण के रूप में दस्तावेजों और नामांकन तथा दावा प्रपत्रों का सरलीकरण।

II. बैंक/डाकघर और बीमा कंपनियों द्वारा भौतिक रूप में मांग किए बिना दावा दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण।

III. अधिक दस्तावेजों को मान्यता और दावों के निपटान के लिए मृत्यु के प्रमाण को स्वीकार करने में छूट।

IV. दावों के निपटान के लिए टर्न अराउंड समय को 60 दिन से 14 दिन किया जाना।

*****

"प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" के संबंध में दिनांक 13.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2504 के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध

पीएमएसबीवाई दावों का राज्य-वार, पॉलिसी वर्ष-वार वितरण – संचयी				
क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**दावा भुगतान की गई राशि (करोड़ में)**		
		31.05.2020 को समाप्त होने वाला पॉलिसी वर्ष	**31.05.2021 को समाप्त होने वाला पॉलिसी वर्ष**	**नवंबर '21 तक**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.10	0.10	0.10
2	आंध्र प्रदेश	57.96	67.70	430.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.26	0.28	0.06
4	असम	7.88	8.40	13.95
5	बिहार	12.10	14.50	23.08
6	चंडीगढ़	1.84	2.10	29.26
7	छत्तीसगढ	39.20	42.74	41.67
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.28	0.38	0.12
9	गोवा	1.84	2.16	1.73
10	गुजरात	55.42	62.46	72.92
11	हरियाणा	37.32	45.68	42.27
12	हिमाचल प्रदेश	14.30	17.06	13.65
13	जम्मू एवं कश्मीर	2.02	2.28	2.03
14	झारखंड	8.50	10.06	15.20
15	कर्नाटक	46.24	50.38	142.59
16	केरल	21.84	24.02	30.09
17	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
18	मध्य प्रदेश	86.38	106.42	142.33
19	महाराष्ट्र	66.86	78.12	188.65
20	मणिपुर	0.36	0.46	0.30
21	मेघालय	0.18	0.20	0.23
22	मिजोरम	0.28	0.28	0.44
23	नागालैंड	0.08	0.12	0.00
24	दिल्ली	10.66	11.88	24.99
25	ओडिशा	22.72	25.84	36.82
26	पुदुचेरी	1.74	1.92	1.67
27	पंजाब	26.84	32.18	29.13
28	राजस्थान	54.56	63.84	83.92
29	सिक्किम	0.14	0.16	0.18
30	तमिलनाडु	60.92	70.52	100.76
31	तेलंगाना	51.32	59.62	110.07
32	त्रिपुरा	0.94	1.00	1.60
33	उत्तर प्रदेश	79.88	93.92	128.42
34	उत्तराखंड	12.36	13.60	39.44
35	पश्चिम बंगाल	20.32	22.94	60.56
36	लद्दाख	0.02	0.02	0.00
कुल		**803.66***	**933.34***	**1808.22#**

स्रोत: * बैंक - जैसा कि जन सुरक्षा पोर्टल पर रिपोर्ट किया गया है (इसमें अभिसरण योजनाओं के तहत भुगतान किए गए दावे शामिल नहीं हैं)

बीमा कंपनियां - अभिसरण योजनाओं के तहत भुगतान किए गए दावे शामिल हैं